


Sl. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with Date
1	2	3	4
	06.02.2026	<p style="text-align: center;">Appeal No -21/2025 Dist. - Gopalganj</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p style="text-align: center;">Jaya Jyoti Infracon Pvt Ltd.</p> <p style="text-align: center;">Vs.</p> <p style="text-align: center;">Collector, Gopalganj & Ors.</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p>अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी द्वारा समाहर्ता, गोपालगंज के आदेश दिनांक-17.05.2025 के विरुद्ध अपील आवेदन विलम्ब से दिनांक-19.12.2025 को दाखिल किया गया है।</p> <p>बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-67(2) के तहत दायर एक अन्य अपील में न्यायालय द्वारा "(1985) 3 Supreme Court Cases 590" एवं "(2017) 16 Supreme Court Cases 137" citations के आलोक में विलम्ब अवधि क्षांत के लिए प्रावधान नहीं रहने के कारण अपील खारिज किया गया है। तदनुसार वर्तमान मामले में भी निर्धारित अवधि में अपील के दायर नहीं किये जाने के कारण इसे खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">ह0/- खान आयुक्त</p> <p>ज्ञापांक:-.....1113...../एम0, पटना, दिनांक-10.02.26</p> <p>प्रतिलिपि :- समाहर्ता, गोपालगंज/ खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, गोपालगंज/ जया ज्योति इन्फ्राकॉन प्रा0 लि0, निदेशक-श्री पंकज कुमार, पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम-शेरपुर, थाना-जेदुआ, हाजीपुर, जिला-वैशाली, ईमेल-rajnikant7136518@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;"> 10.2.26 विधि पदाधिकारी</p>	